न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
केसराराम पुत्र जेकाराम जाति माली निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. नारायणी देवी पत्नी सगताराम जाति माली निवासी पुलिस थाना शिव के पास, शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 52 दिनांक 28.02.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम [illegible] के तहत ग्राम शिव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि [illegible] 80 दिनांक 20.10.2004 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2007 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस निगरानी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 09.01.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टा विलेख सं. 80 को गलत एवं नियम विरूद्ध मानते हुए खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 2 द्वारा इसी भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु पुनः ग्राम पंचायत शिव के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर निगरानी अधीन पट्टा सं. 52 दिनांक 28.02.2009 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत शिव का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पट्टाशुदा भूमि मौका शिव में आई हुई हैं जिसका पट्टा सं. 11 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौस उत्तर में ग्राम पंचायत की खुली पड़ी रास्ते की भूमि आई हुई हैं जिस पर अर्सा 40 दिन पूर्व नारायणी देवी पत्नी सगताराम व उसके पति सगताराम द्वारा अवैध कब्जा करने व निर्माण करने, रास्ते की भूमि पर गटर बनाने व प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि में दखलदांजी करने पर आमादा हुए, जिस पर प्रार्थी ने उन्हें रोका तो झगड़े पर उतारू हो गये व नारायणी देवी ने अपने नाम से पट्टा जारी होना बताया। इस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत शिव से आलौच्य पट्टे की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत शिव द्वारा गलत व विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी पुराने कब्जे के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने कब्जे के विनियमीतीकरण के गलत आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 52 जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा पूर्व में भी एक ही दिन में अप्रार्थी सं. 2 व उसके परिवार के सदस्यों से मिलकर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा सं. 80, उसके पति सगताराम के पक्ष में पट्टा सं. 90, देवर हुकमाराम के पक्ष में पट्टा सं. 172, देवाराम के पक्ष में पट्टा सं. 174 जारी किये गये थे। ग्राम पंचायत के स्वामित्व की उक्त भूमि एनएच 15 पर आई हुई हैं जो करोड़ो रूपये की होने से बिना कब्जे के रास्ते की भूमि के पट्टे जारी किये गये थे। उक्त चारो पट्टों के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिस पर निर्णय दिनांक 09.01.2009 के द्वारा चारों पट्टे गलत एवं विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज कर दिये गए। अप्रार्थी सं. 2 नारायणी देवी ने इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पट्टा सं. 80 खारिज होने के बावजूद पुनः ग्राम पंचायत से मिलावट कर आलौच्य पट्टा सं. 52/09 को जारी करवा दिया तथा इसके आधार पर खारिज पट्टों की भूमि को मिलाते हुए विधि विरूद्ध रूप से काबिज होकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं और न ही अप्रार्थी सं. 2 के कब्जे एवं आधिपत्य के साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लिये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का जो नोटिस चस्पा किया गया हैं उस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर एवं चस्पा करने का स्थान ही उल्लेखित नहीं है, न ही कथित पट्टे [illegible] का पूर्ण पता अंकित हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा एक दिन में मिलावट से तैयार किया गया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाडमेर

स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया आलौच्य पट्टा विलेख सं. 52 दिनांक 28.02.2009 को निरस्त किया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का पुराना कब्जा एवं रहवास है जिस पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निर्माण करवाया गया हैं। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 के रहवासी 2 झूंपे बने हुए है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 का नियमित रहवास चला आ रहा हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन–पत्र पर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के सभी नियमों की अक्षरशः पालना की हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 ने अपने पुराने गृह का विनियमितीकरण हेतु आवेदन मय शुल्क जमा कराये जाने पर पत्रावली कायम की गई और विधिवत रूप से मौका कमेटी का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर एक माह का आपत्तियों का नोटिस जारी किया गया। इस पर किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से कोई आपत्ति न आने पर ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में बैठक दिनांक 28.02.2009 में पारित प्रस्ताव सं. 2 के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही विधिक तरीके से की हैं तथा प्रार्थी ने सारे तथ्य गलत एवं मनगढ़त अंकित किये है। प्रार्थी एक बदमाश एवं झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति हैं वह अक्सर ग्रामवासियों से झगड़े–टन्टे करता रहता हैं और परेशान करता हैं। प्रार्थी को आलौच्य पट्टे की जानकारी शुरू से ही थी लेकिन उक्त पट्टा जारी होने के करीबन 12 वर्ष बाद यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमे विलम्ब का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया हैं, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। [illegible] के अधिवक्ता कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत शिव द्वारा गलत व विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी पुराने कब्जे के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

157(ख) के तहत पुराने कब्जे के विनियमीतीकरण के गलत आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 52 जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा पूर्व में भी एक ही दिन में अप्रार्थी सं. 2 व उसके परिवार के सदस्यों से मिलकर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा सं. 80, उसके पति सगताराम के पक्ष में पट्टा सं. 90, देवर हुकमाराम के पक्ष में पट्टा सं. 172, देवाराम के पक्ष में पट्टा सं. 174 जारी किये गये थे। उक्त चारो पट्टों के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिस पर निर्णय दिनांक 09.01.2009 के द्वारा चारों पट्टे गलत एवं विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज कर दिये गए। अप्रार्थी सं. 2 नारायणी देवी ने इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पट्टा सं. 80 खारिज होने के बावजूद पुनः ग्राम पंचायत से मिलावट कर आलौच्य पट्टा सं. 52/09 को जारी करवा दिया तथा इसके आधार पर खारिज पट्टों की भूमि का मिलाते हुए विधि विरूद्ध रूप से काबिज होकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन–पत्र जो मौका कमेटी गठित होकर मौका निरीक्षण कर प्रपत्र तैयार किया गया हैं उस पर तीन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं जबकि इस प्रपत्र में केवल एक ही वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसके अलावा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का जो नोटिस चस्पा किया गया हैं उस पर दो गवाह के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा इसी विवादित भूमि के पूर्व में अप्रार्थी सं. 2 व अन्य परिवार के सदस्यों के पक्ष में जारी पट्टों को इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.01.2009 द्वारा विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज किये गये थे। इसके बावजूद उक्त प्रपत्र के आधार पर पुनः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी कर दिया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जबकि पत्रावली का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवलोकन करने से सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं साक्ष्य दस्तावेजों का अभाव पाया जाता हैं। जहां तक मयाद का प्रश्न हैं तो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने में कोई मयाद निर्धारित नहीं हैं इसके बावजूद हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही अनियमित एवं अपूर्णता के साथ–साथ विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में मयाद बाधित नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार पुराने के कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत शिव द्वारा अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जो आलौच्य पट्टा सं. 52 जारी किया गया हैं वह निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत शिव द्वारा बैठक दिनांक 06.01.2009 में पारित प्रस्ताव सं. 13 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 52 दिनांक 28.02.2009 को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:12 IST
Reason: SelfAttested